

अलय  
न

S.D.O  
जयपुर,  
JPR

फर्द अहकाम

गिरधारी बनाम रत्नकाव  
Smt 15/11

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18/11/19	<p>पत्रानली पेश हुई। कादी/अधिकारी अस्मित नहीं। न्यायालय मजल में अर्ज के आवाजे दिलवाई गई, अस्मित नहीं बाद इंतेजार उनवानी बाद अदम-दाजरी अदम-करवी में शरिज किया जाता है। अस्मित फैशल-शुमार नम्बर से कम होकर दारिबल दास्त हो। निर्णय से रजलस सुताजागाका।</p> <p>उप खण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम), जयपुर</p>	

